


21/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/1/25 को पेश हो।

28/3/25

~~पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/1/25 को पेश हो।~~

11-7-25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उच्च पक्ष अथवा पक्षकारान अनुठ। प्रकरण में कोई सुनौप्रि तक रुक-रुक कर बार-बार आवेज दिलवाई गई। वकुलाय उच्च पक्ष व पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये। अतः वकुलाय उच्च पक्ष अथवा पक्षकारान की अनुपस्थिति में कार्यना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का. अधि. को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तम्गील दाखिल दफ्तर हो।


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)